

# फॉर्म नं. 11 फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

बडीसादड़ी

बनाम

श्री राजेश

श्री अशर

किस्म मुकद्दमा

128 RLA Act

नं.

88/18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम क में ज
9.5.18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प <u>अशर</u> पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट का पेश हुआ।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बडीसादड़ी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>मुहल्ला</u> की खाता संख्या <u>1</u> की आ. नं. <u>13, 14, 20, 21, 205</u> रकबा <u>1.96</u> हे. भूमि का पक्षकार नं. <u>21, 213, 224, 226, 22</u> की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी की जावे। इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। कमीशनरी फीस रुपये <u>2500/-</u> प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे आम सुनाया गया।</p>	



(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं